

Research Papers



महिलाओं का अधिकार – हिंसा मुक्त जीवन

डॉ.. टिक्कम दास वर्मा

सहायक आचार्य, कामर्स विभाग
राजकीय पी.जी. कालेज, रामपुर बुसाहर, हिमाचल प्रदेश

डॉ.. बिजेन्द्र प्रधान

सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग
जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय,
लाडनू – राजस्थान

प्रस्तावना :-

हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर यदि विचार किया जाता है तो सभी के विचार और समझ अलग-अलग होंगे। हिंसा की विवेचनायें हर समाज में सूक्ष्म रूप से हो रही है। हिंसा के बारे में जयकृष्णामूर्ति की बात आज भी उतना ही प्रासंगिक लगती है कि हिंसा का चोत मैं (इगो) है जो बहुत से तरीकों से अभिव्यक्त होता है। हमारे देश में पितृसत्ता आधारित व्यवस्था का प्रचलन है जिसमें पुरुष और महिलाओं की परवरिश या देखभाल उनके विचार, अहम्, सोच और व्यवहार को विकसित करती है। लिंग भेद आधारित स्थितियों जैसे खाना, पहनना, पढ़ना, घूमना इत्यादि महिलाओं को हिंसा के अनेकों ऐसे अनुभवों से होते हुए ले जाती है जो केवल महिला होने के कारण अनुभव करने पड़ते हैं।

हम मानव अधिकार की बात करते हैं। क्या महिलायें मानव नहीं हैं और उन्हें स्वतन्त्र रूप से जीने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा महिलाओं का अधिकार है हिंसा मुक्त जीवन व्यतीत करना। चाहे वह किसी देश धर्म, जाति या वर्ग की हो। वर्तमान में भी लोगों द्वारा महिलाओं के लिए तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं— खाप पंचायत, मुजफ्फरपुर, यू.पी. के चौधरी बाबा सूरजमन ने जनवरी, 2011में एक तुगलकी फरमान जारी किया कि गाँव की कोई भी लड़की जी-स्पैन और टी-शर्ट नहीं पहनेगी। जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर पंचायत कारवायी करेगी। गाँव की ही पाँच महिलाओं की एक टीम गठन की गई जो इस फरमान को लागू करवायेगी और निगरानी रखेगी। इसके साथ ही यह भी फरमान जारी किया गया कि इन्टरमीडिएट कालेज में पढ़ने वाली छात्रायें मोबाइल नहीं रखेंगी। इसी प्रकार का एक और उदाहरण मध्यप्रदेश की हरदा का है जहां विश्नोई समाज के संत डा. गोवर्धन राम आचार्य ने 26.11. 2011 को जम्बाडी हरिकथा और यज्ञ के अवसर पर करीब ढाई हजार लोगों को संकल्प दिलाये कि समाज की लड़कियां जीस या चुस्त कपड़े नहीं पहनेगी और मोबाइल नहीं रखेंगी। कैसी हमारी देश की विडम्बना है, एक तरफ अधिकार देने की बात कहीं जाती है दूसरी तरफ अधिकार छीनने की, वो भी केवल महिलाओं की।

यदि महिलाओं की स्थिति पर नजर डाले तो आक्सफाम की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें प्रतिदिन दैनिक जीवन में घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं और यदि साउथ एशिया के ही कुछ देशों की महिलाओं की

स्थिति पर नजर डाले तो पाकिस्तान में 80 प्रतिशत, अफगानिस्तान में 50 प्रतिशत, बंगलादेश में 60 प्रतिशत और भारत में 37 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति यह है कि प्रत्येक 3 महिलाओं पर एक महिला को या तो मार दिया जाता है या घायल कर दिया जाता है।

हमारे देश में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग आधा है लेकिन उन महिलाओं की संख्या बहुत ही कम होगी जो बिलकुल हिंसा मुक्त होंगी। क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर महिलायें किसी न किसी प्रकार की हिंसा से ग्रसित हैं, चाहे वह घरेलू हिंसा हो या सामाजिक। शुरू से ही पुरुष और महिलाओं में अन्तर किया जाता है। अर्थात् बच्चा पेट में होता है तो जॉच कराकर देखा जाता है कि लड़का है या लड़की। यदि लड़की है तो उससे जन्म लेने के अधिकार छीनकर मार दिया जाता है अर्थात् भ्रणहत्या कर दी जाती है। क्या लड़कियों को जन्म लेने का अधिकार नहीं है। जन्म के समय यदि परिवार में लड़का होता है तो खुशिया मनाई जाती है और यदि लड़की होती है तो परिवार में मायूसी छा जाती है। क्या परिवार में लड़की के रूप में जन्म लेना गुनाह है? यदि परिवार में लड़की का जन्म हो भी गया तो उसके पालन-पोषण एवं विकास में विभेद किया जाता है चाहे रहने को हो या खाने, चाहे घूमने का हो या पहनने, चाहे धन हो या सम्पत्ति, चाहे पढ़ने का हो या नौकरी, चाहे राजनीति हो या स्वास्थ्य इत्यादि।

Please cite this Article as : डॉ.. बिजेन्द्र प्रधान & डॉ.. टिक्कम दास वर्मा , महिलाओं का अधिकार – हिंसा मुक्त जीवन : Indian Streams Research Journal (Feb ; 2012)

प्राचीन काल में मनुस्मृति में भी महिलाओं की स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण का उल्लेख मिलता है। मनु ने परिवार के किसी भी पुरुष के परामर्श या स्वीकृति बिना महिलाओं को किसी भी प्रकार का कार्य या गतिविधि करने पर प्रतिबन्ध लगाया था। इतना तक प्रतिबन्ध था कि वह अपने घर में भी स्वतन्त्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकती थी। वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और वह बहुत तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। चाहे वह अपने माता-पिता के घर हो या सासुराल, हर जगह उन पर हिंसा का बादल मंडराता नजर आता है।

माता-पिता के घर में भी लड़कियों को किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं होती है। उन्हें केवल घर की चार दिवारी में रहकर, पुरुषों पर आश्रित होना होता है। स्वयं न तो वो कोई निर्णय ले सकती हैं न वह खर्च कर सकती है। मनु के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है जो एक प्रकार की हिंसा है।

सासुराल में भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है चाहे वह पति द्वारा हो या सास-सासुर, चाहे देवर-देवरानी या परिवार के अन्य सदस्य। हिंसा का रूप चाहे मारने पीटने का हो या प्रताड़ना, हत्या का प्रयास हो या मार डालने की धमकी, दहेज की मांग हो या घर से भगाने की या अन्य प्रकार की मानसिक प्रताड़नायें, इत्यादि।

एक जयपुर, राजस्थान की एक संस्था विशाखा के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कुल हिंसा की लगभग 90 प्रतिशत महिलायें सासुराल पक्ष में हिंसा झेल रही हैं। इसमें भी 76 प्रतिशत महिलाओं के साथ पति द्वारा मारपीट, 38 प्रतिशत महिलाओं के साथ सासुराल पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा मारपीट रही हैं। 29 प्रतिशत महिलाओं से दहेज की मांग की जाती रही हैं। 26 प्रतिशत महिलाओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। 31 प्रतिशत महिलाओं के साथ सासुराल पक्ष द्वारा हत्या का प्रयास किया गया है या मार डालने की धमकी दी गयी हैं। इस प्रकार सासुराल पक्ष में हिंसा के क्रूर रूप देखने को मिले हैं। चूंकि महिलायें सासुराल में बहुत तरह की समस्याओं को झेल रही होती हैं और कोई वैकल्पिक या सहयोगी व्यवस्था न हाने के कारण सम्मान व स्वतन्त्रता से रहने की सम्भावनायें और क्षीण हो जाती हैं। लगभग सभी महिलाओं को सासुराल में भावानात्मक और मानसिक हिंसा का समाना निरन्तरता से करना पड़ रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार वर्ष 2005 में “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम” बनाया। जो जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। लेकिन सवाल उठता है कि समाज में इसका प्रभाव कितना है। इस अधिनियम के माध्यम से कितनी महिलाओं को हिंसा से बचाया है या अधिकार दिलाया गया है।

उसके अतिरिक्त हमारे देश की महिलाओं को अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो एक प्रकार से हिंसा का ही रूप है जैसे— बच्चों की अभिरक्षा, सम्पत्ति के मामले, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जाति आधारित हिंसा, प्रजनन अधिकारों से सम्बन्धित हिंसा, इत्यादि। जिससे महिलायें हिंसा मुक्त जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हो जाती हैं।

हमारे देश की प्रत्येक महिला को अधिकार होना चाहिए कि वे स्वयं निर्णय ले सकें, सभी कार्यक्रमों में भागीदारी कर सकें, कोई भी कार्य स्वयं अपने से कर सकें, धन का उपयोग अपने मर्जी से कर सकें, शिक्षा की मांग कर सकें, जरूरत पड़ने पर हिंसा के विरुद्ध कानून का सहारा ले सकें, सामाजिक बुराईयों का विरोध कर सकें, पुरुषों की तरह स्वतन्त्र रूप से अपना जीवन जी सके यानि स्वतंत्र रूप से घूम सकें, अपनी इच्छा अनुसार खा सकें, इच्छा अनुसार कपड़ा पहन सकें, इच्छा अनुसार शादी कर सकें, इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकें इत्यादि। और यह तभी यह सम्भव हो सकता है जब हमारे देश की महिलायें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे देश के बहुत सी सरकारी,

गैर सरकारी और वित्तीय सहायतार्थ संस्थाएँ काम कर रही हैं जरूरत है महिलाओं को उसका लाभ उठाने की। सरकारी संस्थाओं में खास तौर से महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सतत प्रयास कर रही हैं। जैसे महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, स्वयं सिद्धा कार्यक्रम, एसजीएसवाई, शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम, महिलाओं का आरक्षण, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की भूमिका, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित अधिनियम इत्यादि। महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था।

गैर सरकारी संस्थाएँ भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं जैसे—स्वयं सहायता समूह बनाना और उसे प्रशिक्षण, जानकारी, दक्षता वृद्धि और आय-वृद्धि गतिविधियों का आयोजन के माध्यम से मजबूत करना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना, कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ाना, महिलाओं को शिक्षित और जागरूक बनाना, हिंसाओं के विरुद्ध आवाज उठाकर और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इत्यादि।

राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ भी देश की महिलाओं को सशक्त बनाने और हिंसा मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर चला रही हैं जैसे राष्ट्रीय महिला कोष, सिडबी, राष्ट्रीय महिला आयोग, नाबार्ड, यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूएनडीपी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इफाड, आक्सफाम, यूएनएफपीए, केयर इण्डिया, क्राई, एकशन एड, कासा, सेव द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, पीएसआई और जैन विश्व भारती इत्यादि। ये सभी संस्थाएँ महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यमों से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं जिससे महिलायें हिंसाओं के विभिन्न रूपों का सामना करते हुए हिंसा मुक्त जीवन व्यतीत कर सकें।

यहाँ जरूरत है महिलाओं को हिंसा के विभिन्न रितियों को समझना और हिंसा के मुक्ति के साथ—साथ सामर्थ्यवान बनाना। महिलाओं को ऐसे संस्था या स्थान की जरूरत है जहाँ से महिलायें अपनी बात खुलकर कह सकें, जिनके सहयोग से घर के सभी सदस्यों का सहयोग मिल पाये और जिनके प्रयास से परिवार के बीच हिंसा की समझ निर्मित की जा सके। क्योंकि हिंसा के सभी अभिव्यक्तियों को बाहरी दबाव से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए परिवार एवं समाज का सहयोग जरूरी है। साथ ही यदि महिलाओं को हिंसा मुक्त जीवन देना है तो कानून की पालना करने वाली संस्था के साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है। इसी तर्ज पर मुम्बई में टाटा सामाजिक विधि अध्ययन संस्थान द्वारा “महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र” का एक प्राथमिक स्वरूप महाराष्ट्र पुलिस के साथ “स्पेशल सेल” के रूप में चालये गये। यह केन्द्र महिला द्वारा हिंसा पर उठाये गये प्रश्नों को मान्यता एवं वैद्यता देते हैं। महिला को हिंसा की स्थितियों से बाहर आने के लिए सम्बल देने के साथ—साथ जरूरी संसाधन जुटाने में सहयोग करते हैं। इसके साथ ही महिला को अपनी बात खुलकर कहने, अपने रिति का विश्लेषण करने और अपनी इच्छानुसार हिंसा मुक्त जीवन जीने के लिए एक रास्ता चुनने में मदद करता है। महिला को आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र उसकी ओर से मध्यस्थिता भी करता है।

इस केन्द्र के माध्यम से हिंसा ग्रसित महिला को आवश्यक जानकारी, कानूनी और चिकित्सकीय मदद, रोजगार, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए उचित तरीका खोजने में मदद मिलता है तथा केन्द्र कोशिश करता है कि महिला स्वनिर्णय और आत्मसम्मान के साथ जीवन—यापन कर सके। इस बात को केन्द्र प्रोत्साहित करता

है।

महाराष्ट्र के इस अनुभव के आधार पर राजस्थान और दिल्ली में भी स्वयंसेवी संस्था और कानून के रखवाले पुलिस मिलकर वर्ष 2004 से राजस्थान के दस जिलों में 10 केन्द्र और दिल्ली में 09 केन्द्रों की शुरुआत की हैं। क्योंकि यहाँ भी महिलाओं पर हिंसा/अत्याचार की घटा छाया हुआ है और ऐसे केन्द्रों की जरूरत हैं। इन केन्द्रों ने महिलाओं की हिंसा को सुलझाने, अधिकारों के प्रति जागरूक करने, रोकने और उन्हें सशक्त बनाने में काफी सफलता हासिल की हैं। और यदि इसी तरह प्रयास रहा तो वे दिन दूर नहीं जब महिलायें हिंसा मुक्त जीवन जी सकेंगी क्योंकि इन केन्द्रों के साथ कानून के रखवाले पुलिस शामिल हैं।

श्री राजीव दासगीत, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर का कहना है कि “महिला सहायता और सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस विभाग सतत प्रयासरत और सहायक सिद्ध होगा।”

श्री अशोक राठौड़ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बीकानेर का कहना है कि महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, बीकानेर द्वारा किये गये कार्य उत्कृष्ट कोटि के पाये गये हैं। केन्द्र द्वारा परामर्श के उपरान्त विभिन्न प्रकरणों को सुदृढ़ करती है। केन्द्र का पुलिस विभाग के साथ अच्छा समन्वय रहा है। साथ ही केन्द्र में कार्यरत सलाहकार अपने कार्य के प्रति गम्भीर एवं तत्पर रहे हैं। निश्चित ही महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, बीकानेर एवं जिला पुलिस के अपनी प्रयास से क्षेत्र की महिलाओं को एक सम्बल मिला है।

विशाखा संस्था जयपुर, राजस्थान का मानना है कि महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र समग्र राहत से सशक्तिकरण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं को अपनाता है। केन्द्र पर होने वाली काउन्सिलिंग नतीजों को प्राप्त करने की अपेक्षा महिला की रिस्ति को समझने, स्वयं की ताकत को पहचानने, पितृसत्ता और लिंगभेद के सापेक्ष स्थितियों को जानने, अवसरों की विकल्पता को चुनने और क्रियान्वयन में सहयोग पर आधारित है। इस केन्द्र पर दो प्रशिक्षित और दस सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं और इनकी मदद के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त दो पुलिस कान्सटेबल होते हैं। चार व्यक्तियों का यह समूह सम्पूर्ण जिले में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए प्रयासरत रहता है। महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र महिला थाना परिसर में स्थापित होता है। यह एक महिला समर्थक, हिंसा मुक्त, पूर्वग्रह रहित, सबको शामिल करने वाली अनिर्णायक (छवद. श्रनकहउमदजंस) यह महिलाओं की अपनी जगह है।

इसी क्रमबद्धता में जैन विश्व भारती के अनुग्रह समिति, तेरापंथ महिला मण्डल और अहिंसा एवं शान्ति विभाग भी महिलाओं को हिंसा मुक्त करने के लिए समय-समय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं जैसे रैली, सम्भाषण, प्रशिक्षण, घर-घर जाकर जागरूकता पैदा करना इत्यादि। जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय के अहिंसा एवं शांति विभाग समय-समय पर युवाओं का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कार्यक्रम करती है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने-अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करते हैं और महिलाओं पर होने वाली हिंसाओं को रोकने का प्रयास करते हैं।

इसी क्रम में मुमकिन है महिलाओं पर होने वाली हिंसा का अन्त अभियान को विकल्प संस्थान द्वारा राजस्थान के 14 जिलों में, 80 से अधिक एलायन्स जैसे संस्था, संगठन, स्थानीय स्तर के समूह, युवा मण्डल, नेहरयुवा केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल, कॉलेज, महिला अध्ययन केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइया, एनसीसी, स्काउट आदि के साथ मिलकर अभियान को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया में 2 लाख से ज्यादा महिला-पुरुष चेन्जमेकर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार के प्रयासों से हमें विश्वास हैं कि हम मिलकर समता, शान्ति, न्याय और सद्भाव पर आधारित एवं हर प्रकार की

हिंसा से मुक्त समाज बनाने में सफल हो जायेंगे।

महिलाओं का सबसे बड़ा अधिकार है उन्हें स्वतन्त्र और हिंसा मुक्त रूप से जीवन जीने दिया जाये और एक मानव के नाते उन्हें मानवाधिकार के सभी अधिकार दिये जायें।

उन महिलाओं की हिम्मत को हम सलाम करते हैं जो अपने आपको विश्वास कर अपने ही ऊपर गुजर रहे हिंसाओं के खिलाफ आवाज उठायी हैं और खुद को एक उदाहरण बनाया। महिलाओं ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर अपनी पहचान न दी है चाहे राजनीति से हो या रक्षा, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, चाहे आसमान हो चाहे जमीन, चाहे सुधार हो या कानून हर जगह अपना नाम दर्ज किया है। महिलाओं का मूल अधिकार यही है कि उन्हें हिंसा मुक्त रूप से जीवन जीने दिया जाये।

सुझाव

महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र प्रत्येक राज्य में जिला एवं ब्लाक स्तर पर स्थापित हो और प्रभावी रूप से कार्य करे।

सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से अपना प्रयास जारी रखे रहना है।

साधु, सन्त एवं महात्माओं का जगह-जगह पर ‘अहिंसा एवं शान्ति’ पर व्याख्यान का आयोजन किया जाए।

संदर्भ

1. उपाध्याय, नीलम और पाण्डेय रेखा, स्टेट्स ऑफ वीमेन इन इण्डिया, चग पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2010

2. पुंधर, राजेश कुमार, वीमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया थ्रो पॉलिटिकल एण्ड सोसियो-इकनामिक मोबिलाइजेशन (लेख), मानविकी जर्नल्स, गोरखपुर, वाल्युम -1, संख्या-2, पृष्ठ 45, अक्टूबर 2010

3. हिंसा मुक्त जीवन की ओर, विशाखा, महिला शिक्षा एवं शोध समिति, टॉक रोड, जयपुर, 2008

4. घरेलू हिंसा रोकने में शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, विकल्प संस्थान, रातसाड़ा, जोधपुर

5. मुनि धर्मेश, अहिंसा प्रशिक्षण, जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाड्नू राजस्थान, 1994

6- We can end all Violence against Women, Oxfam GB, Oxfam (India) Trust, East Kailash, New Delhi

7^o राजस्थान पत्रिका – 17.01.2011 (तुगलकी फरमान)।

8 विश्नोई लड़कियों के जींस पहनने पर प्रतिबन्ध, गोविन्द सकरेना, राजस्थान पत्रिका, 27.11.2011